उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-21/2023/814/तीस-4-2023-8(19)/2018 टीसी
लखनऊ; दिनांक: 12 जून, 2023

अधिसूचना

चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 211 और धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित नियमावली का प्रारूप अधिसूचना संख्या-10/2023/457/तीस-4-2023-8(19)/2018टीसी, दिनांक 05 अप्रैल, 2023 द्वारा गजट में प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में विहित अवधि के भीतर किसी से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 211 और धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान(तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 50 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 50 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
50. रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट- निम्नलिखित विवरणों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगीः-	50. रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट- निम्नलिखित विवरणों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण अर्थात् रजिस्ट्रीकरण, पुनः रजिस्ट्रीकरण एवं ठीक हालत में होने (परीक्षण तथा प्रमाण-पत्र निर्गमन) के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगीः-
(एक) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर और लोकोमोटिव,	(एक) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त ट्रैक्टर और लोकोमोटिव;
(दो) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने	(दो) पूर्त संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और बीमारों या घायलों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त मोटर एम्बुलेन्स;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		वाले मोटर एम्बुलेन्स, (तीन) ऐसे मोटर वाहन जो सरकार के स्वामित्वाधीन हों या तत्समय सरकार की सेवा में हों,	(तीन) ऐसे मोटर यान, जो या तो सरकार के स्वामित्वाधीन हों या तत्समय सरकार की सेवा में हों; (चार) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अधीन जारी मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रेप किये गये मोटर यानों पर इस अधिसूचना के दिनांक से एक वर्ष के लिए। (पांच) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अधिसूचित किये जाने के दिनांक अर्थात् 14.10.2022 से 03 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत किसी इलेक्ट्रिक यान (ईवी) पर। (छः) दिनांक 14.10.2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रयकृत तथा रजिस्ट्रीकृत उप नियम (5) के अधीन आच्छादित किसी इलेक्ट्रिक यान (ईवी) पर। स्पष्टीकरण: उपनियम (पांच) में, इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) का तात्पर्य बैटरी, अल्ट्राकेपेसिटर या ईधन सेल द्वारा चालित इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले समस्त ऑटोमोबाइलों से है। इसमें समस्त 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एवं 4-व्हीलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (एचईवी), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक यान (बीईवी), तथा ईधन सेल इलेक्ट्रिक यान (एफसीईवी) सम्मिलित हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-21/2023/814(1)/तीस-4-2023-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-21/2023/814(2)/तीस-4-2023-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 12 जून, 2023 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क)(सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 21/2023/814(3)/तीस-4-2023-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल़उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग /न्याय/वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in